कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी फर्रूखाबाद।

संख्या 5613 /आ0ले0–जि0अ0–2014 दिनांक 09 जून 2014

समस्त अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत
फर्रूखाबाद

नगर क्षेत्र में अतिक्रमण की बहुत ही स्थिति खराब है। अतः नगर की व्यवस्था सुधारने हेतु निम्न कार्यवाही तत्काल सम्पन्न करायी जाये:–

1– सभी ठेलों के लाइसेंस बनाये जाय और अब तक न बनाये जाने के लिए दोषी लोगों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर अवगत कराया जाये।

2– लाइसेंसी ठेलों को एक स्थान पर खड़ा नहीं होंने देंगे, हमेशा मूवमेंट रहेंगे।

3– चौराहों पर जिसमें गाड़ियों को मुड़ने का रास्ता है, वहां पर 09 मीटर की दूरी तक नो वेण्डर जोन का बोर्ड लगाया जाये। इस जोन में किसी वेण्डर के पाये जाने पर 500/– का जुर्माना करते हुए रसीद काटी जाये और नगरपालिका की आय में वृद्दि की जाये ।

4– नगर के सघन इलाका और मुख्य वाजार में दुंकानदारों को अपना सामान दुकान के अन्दर रखने की सख्त हिदायत दी जाये और कभी–कभी अचानक अभियान चलाकर फुटपाथ पर रखे सामान को जब्त कर लिया जाये और जुर्माना किया जाये।

5– नगर में बिना नगरपालिका की अनुमति के होर्डिग नहीं लगाई जायेगी, जो वर्तमान में लगी है, उसे तत्काल हटवा दिया जाय । यदि किसी कार्यक्रम विशेष के लिए आवेदन आपको दिया जाता है तो उस पर नियमानुसार अनुमति दी जाये और शुल्क जमा कराया जाय तथा होर्डिग लगाने वाले को निर्देशित कर दिया जाय कि कार्यक्रम समाप्त होने के उपरान्त होर्डिग स्वंय हटा लें। यदि नहीं हटाया जाता है तो हटवा कर आवेदक से जुर्माना बसूला जाये।

6– नगर में रोड के किनारे मौरम, गिटटी आदि कदापि न रखने दी जाये। सभी विक्रेताओं को अपने भण्डारण क्षेत्र में रखने की सख्त हिदायत दी जाये। ऐसा न करने की दशा में उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

(एन0के0एस0 चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।

प्रतिलिपि आयुक्त महोदय कानपुर मण्डल कानपुर की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।

(एन0के0एस0 चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।